

**भारतीय मानक ब्यूरो**  
(केन्द्रीय मुहर विभाग - I)

हमारा सन्दर्भ: सीएमडी-1/18:5:8

17 फरवरी 2021

**विषय: बीआईएस (अनुरूपता निर्धारण) विनियम 2018 में संशोधन - हेतु।**

जैसा कि सूचित किया गया है, ब्यूरो सचिवालय इमेल्स सन्दर्भ: बीएस/11/11/2021 दिनांक 04 फरवरी 2021 एवं 05 फरवरी 2021 द्वारा, बीआईएस (अनुरूपता निर्धारण) विनियम 2018 में निम्नलिखित संशोधन प्रकाशित किये जा चुके हैं:

- i) बीआईएस (अनुरूपता निर्धारण) प्रथम संशोधन विनियम, 2021 दिनांक 04 फरवरी 2021
- ii) बीआईएस (अनुरूपता निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 दिनांक 05 फरवरी 2021

2. इन पूर्वोक्त संशोधन नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं::

i) प्रथम संशोधन विनियम, 2021

- क) लाइसेंस (या अनुरूपता प्रमाणपत्र) की शर्तों में लाइसेंसधारी (या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक) द्वारा चिह्नित/सील नमूने निर्दिष्ट कार्यालय या प्रयोगशाला में भेजने हेतु स्पष्ट उल्लेख
- ख) विदेशी आवेदकों द्वारा प्रदर्शन बैंक गारंटी को अमेरिकी डॉलर के अलावा समकक्ष भारतीय रुपए में जमा करने का विकल्प
- ग) प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजना की फीस संरचना का संशोधन
- घ) स्कीम - I (ISI) के तहत मुहरांकन शुल्क की अधिसूचना
- ङ) स्कीम - I (ISI) के तहत मुहरांकन शुल्क का संशोधन

ii) दूसरा संशोधन विनियम, 2021

- क) स्कीम - I (ISI) के तहत लाइसेंस को नब्बे दिनों से अधिक (यह कि एक वर्ष तक) आस्थगित रखने के आवेदन का प्रावधान
  - यह कि, लाइसेंस को 'निष्क्रिय' वर्गीकरण करने हेतु लाइसेंसधारी द्वारा अग्रिम अनुरोध
- ख) स्कीम - I (ISI) के अंतर्गत पश्चात्कर्ती लाइसेंस के न्यूनतम मुहरांकन शुल्क में छूट

3. सभी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/संबंधित विभाग कृपया इन प्रावधानों पर ध्यान देने का अनुरोध करें।

4. यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारित है।

(मोहित जनोहिया)  
वैज्ञ-सी/सीएमडी-1

**प्रमुख, सीएमडी-1**

**वैज्ञ-'जी' एवं उपमहानिदेशक (प्रमाणन)**

**Bureau of Indian Standards**  
**(Central Marks Department - I)**

**Our Ref: CMD-I/18:5:8**

**17 February 2021**

**Subject: Amendment to BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018 - reg.**

As informed, vide Bureau Secretariat's emails Ref: BS/11/11/2021 dated 05 February 2021 and 08 February 2021, following amendments have been published in the BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

- i) BIS (Conformity Assessment) First Amendment Regulations, 2021 dated 04 February 2021
- ii) BIS (Conformity Assessment) Second Amendment Regulations, 2021 dated 05 February 2021

2. The salient features of these aforesaid amendment regulations are as follows:

- i) First Amendment Regulations, 2021
  - a) Explicit mention in conditions of licence (or certificate of conformity) w.r.t. sending of marked/sealed samples by the licensee (or holder of certificate of conformity) to designated office or laboratory
  - b) Option to submit performance bank guarantee by the foreign applicants in equivalent Indian Rupees as an alternative of US Dollars
  - c) Revision of fee structure of management system certification scheme
  - d) Notification of marking fees under Scheme - I (SI)
  - e) Revision of various marking fees under Scheme - I (SI)
- ii) Second Amendment Regulations, 2021
  - a) Provision of making request to keep expiry of licence in deferment beyond ninety days (i.e. upto one year) under Scheme - I (SI)
    - o i.e. Advance request by licensee to categorise licence as 'Dormant'
  - b) Discount of ten percent in minimum marking fee for subsequent licence by a manufacturer under Scheme - I (SI)

3. All ROs/BOs/concerned departments are requested to kindly take note of these provisions.

4. This issues with the approval of the competent authority.

(Mohit Janoiya)  
Sc.C/CMD-I

**Head, CMD-I**

**Sc.G & DDG (Certification)**

परिचालित/circulated to:

**सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/ शाखा कार्यालयों**  
**All ROs/BOs/FMCD**

**सभी उपमहानिदेशक (क्षेत्रीय)**  
**All DDGRs/DDG (HM, MSC & FMC)**

**मुख्यालय स्थित सभी विभाग**  
**All departments at HQ**

**अन्य सभी संबंधित पक्ष**  
**All other concerned**

**प्रमुख, आई०टी०एस० विभाग - बी आई एस इंटरनेट पर डालने हेतु।**  
**Head, ITSD - with request to host on BIS Intranet**